SINGLE BENCH 4

CF 1002 (1)

IN THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

WRIT PETITION (C) No. 5524 /2006

PETITIONER

Benuram Yadav, aged about 47 years, S/o Shri Tijau, R/o Village Bar, Tahsil Kasdol, Distt. Raipur (C.G.)

VERSUS

RESPONDENTS

1. The State of Chhattisgarh, Through Secretary, Forest Department, D.K.S. Bhawan, Raipur

2. Union of India, through Secretary Forest Department, New Delhi

3. Forest Range Officer, Baranwapara (Abhyaran), Distt. Raipur

4. Divisional forest Officer, General Forest Division, Raipur

P.R. No. 5542/06
Presented by Raghukar Choudhary
dated 7/10/06

RECEIVED-COPY
Barkha
CLERK to A. G. BILASPUR
7-10-06

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 AND 227 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

7.2

24

XI-HC-78

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मामला क्रमांक WP: 5524 **सन्** 2006

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

10.10.2006

Shri Parag Kotecha, counsel for the petitioner.

Shri Satish Gupta, Dy. Government Advocate for the State/ respondents No. 1, 3 and 4.

Shri Raghvendra Pradhan, counsel for respondent No.2/ Union of India (both on advance copy).

Arguments heard.

Order dictated as follows:

ORAL ORDER
(10.10.2006)

SUNIL KUMAR SINHA, J.

By way of this writ petition, filed under Article 226/227 of the Constitution of India, the petitioner, who is the resident of village-Bar, Tehsil Kasdol, District-Raipur(CG), has prayed for issuance of certain directions to the State authorities to formulate the rules pertaining to the constitution and election of the members of *Van Suraksha Samiti*. Alongwith the said prayer, he has also prayed that the memo Annexure P-3, which schedules the date for election of the office bearers of *Van Suraksha Samiti*, should also be quashed.

Learned counsel for the petitioner submits that according to the circular of the Forest Department dated 22.10.2001, *Van samities* are to be constituted and the elections are to be held. His submission is that there are no specific rules pertaining to the method of election of the office bearers of the *Samiti*, therefore, such directions are necessary and

27

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मामला क्रमांक W.P. 5524 **सन् 2006**

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश -2-	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

without the rules, the election should not be allowed to begin with and for this, Annexure P-3 may also be quashed.

The arguments advanced by learned counsel for the petitioner that no instructions/directions/rules in this regard are there, is totally misconceived. A perusal of Annexure P-1 i.e. the circular of the Government dated 22.10.2001, which is in form of a *Sankalp,* would indicate that for constitution of the committees, certain guidelines have been provided. In-stead of repeating those guidelines, I would like to quote the contents of clause 3 of the aforesaid circular, which is self explanatory on this point:

> "3.1 प्रदेश के ग्रामों में वनविभाग के स्थानीय अमले द्वारा ग्राम की जनता को, संयुक्त वन प्रबंध से परिचित कराने हेतु बैठक आयोजित की जाएगी तथा इसके पश्चात् ग्रामवासी यदि स्वेच्छा से वनों की सुरक्षा, विकास एवं प्रबंध से जुड़ना चाहें तो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वनपान से अनिम्न स्तर के वनाधिकारी की उपस्थिति में स्थानीय जन प्रतिनिधियो के सहयोग से इस हेतु औपचारिक बैठक आयोजित की जाएगी । वोट देने का अधिकार रखने वाली ग्राम सभा की आबादी के 50 प्रतिशत या अधिक ग्रामीण व्यक्ति यदि बैठक में उपस्थिति होकर आम सहमति से समिति के गठन का प्रस्ताव पारित करते हैं, तो उपर दर्शाए गए दो जोन में से जिस भी जोन में गांव स्थित है, उस क्षेत्र के लिए निर्धारित

28

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मामला क्रमांक ..... W.P.5524 ..... **सन् 2006**

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश — 3 —	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

समिति का गठन किया जाएगा । यदि ग्राम के साथ सघन एवं बिगड़े दोनों प्रकार के वनक्षेत्र हों तो जिस प्रकार के वनों का बाहुल्य होगा, उसी अनुरूप वन सुरक्षा समिति अथवा ग्राम वन समिति गठित की जाएगी ।

3.2 समिति के गठन के उद्देश्य से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1966 की धारा 4 (ख) के अनुसार ऐसे आवास या आवास समूह अथवा छोटे गांव या उनके समूह जिसमें ऐसे समुदाय समाविष्ट हों, जो परम्पराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलोपों के प्रबंध करते हों, को ग्राम माना जाएगा, चाहे वह ग्राम अनुसूचित क्षेत्र (संविधान की अनुसूची) में स्थित हो अथवा उसके बाहर । प्रस्ताव पारित होने के उपरांत एक माह के अंदर संबंधित वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) द्वारा कण्डिका – 2 के अनुसार समिति को पंजीकृत किया जाएगा । वोट देने का अधिकार रखने वाले हर ग्रामीण इस समिति की आम सभा के सदस्य होंगे । ये सदस्य समिति की प्रथम बैठक, जिसकी अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच सभापतित्व मे की जायेगी, में ग्राम के निवासियों में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे,

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मामला क्रमांक ....W.P...5524.... **सन् 2006**

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश -4-	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

जिनका कार्यकाल दो वर्ष रहेगा । अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य होगा ।

3.3 यदि ग्राम में पहले से कोई वन समिति विद्यमान हैं तो उसे संयुक्त वन प्रबंध की उक्त समितियों के रूप में मान्यता दी जावेगी ।

3.4 गठित समितियों के अध्यक्षों का वनमण्डल स्तर पर संघ बनाया जाएगा ।"

Thereafter, clause 4 of the circular also deals with the constitution of *Karyakarini*, which is further quoted for easy expression:

"4. **कार्यकारिणी** :

समिति के सदस्यों में (पदेन सदस्यों को छोड़कर) कम–से कम 11 तथा अधिकतम 21 सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन निम्न प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा :–

1. संबंधित समिति के निर्वाचित अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर समिति कार्यकारिणी को मनोनित करेगी ।
2. वन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कार्यकारिणी की भी पदेन अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहेंगे ।
3. कार्यकारिणी में सभी सदस्यों को मिलाकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्रामसभा में

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मामला क्रमांक W.P. 5524 **सन् 2006**

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश -5-	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

यथा संभव उनकी जनसंख्या के अनुपात से चयन किया जावेगा ।

4. कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी जिनमें ग्राम में कार्यरत महिला बचत समूहों, यदि कोई हो, तो की एक–एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना अनिवार्य होगा ।

5. भूमिहीन परिवारों, यदि उपलब्ध है तो, के न्यूनतम दो सदस्य (एक पुरूष एवं एक महिला) होंगे । जिनमें ग्राम में कार्यरत स्व सहायता समूह, यदि कोई हों तो, के एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना अनिवार्य होगा ।

6. ग्राम में रहने वाले सभी पंच अथवा सरपंच कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होगें ।

7. यदि ग्राम में राजीव गांधी मिशन की जल ग्रहण विकास समिति कार्यरत है तो इस समिति के विभिन्न हितग्राही समूहों में से एक–एक हितग्राही कार्यकारिणी का सदस्य होगा ।

8. कार्यकारिणी के शेष सदस्यों हेतु ग्राम में निर्मित ग्राम संसाधनों के उपयोगकर्ता समूहों, यदि कोई हो तो, के एक–एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना अनिवार्य होगा ।

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

मामला क्रमांक ..W.P.:5524.... **सन् 2006**

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश -6-	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश

9. कार्यकारिणी के उक्त सदस्यों के अतिरिक्त संबंधित वन क्षेत्र का प्रभारी वनरक्षक अथवा वनपाल कार्यकारिणी का पदेन सचिव होगा ।

10. पदेन सदस्यों को छोड़कर कार्यकारिणी के अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षो का होगा ।"

All these provisions in the circular are self contained and they clearly lay down as to why the *Samities* are to be constituted and how the office bearers of the *Samities* shall be elected. The very purpose of constituting the *Van Suraksha Samiti* is to take in to confidence the local public of the area and to invite them to participate in protecting the forests and wild life and also in protecting the environment of the nearby area by playing active role and participation in the aforesaid work initially to be undertaken by the State.

In view of the aforesaid provisions of the circular and further in view of the spirit thereof, there appears to be no necessity of issuing any such further direction in this regard at this stage and also there appears to be no necessity of quashing of Annexure P-3, by which the forest authorities have only published the dates of election of the *Adhyaksh* and *Upadhyaksh* of the committee and for formation of *Karyakarini.*

The petition is misconceived. There is no merit in the petition and the same is dismissed at the motion stage itself.

Sd/-
Sunil Kumar Sinha
Judge

sunita

P.T.O.

Counsel for ..Ar Petitioner